

राजस्थान – सरकार
मत्स्य विभाग

क्रमांक:—एफ1/मपाविअ/कोविड-19/निम/2019-20/ 343-376

दिनांक:— 2/4/2020

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय:— लॉकडाउन अवधि के दौरान मत्स्य पालन एवं परिवहन के क्रम में।


प्रसंग:— गृह विभाग(ग्रुप-9) के आदेश प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 26.03.2020 तथा संयुक्त सचिव मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12035/1/2016-FY(WU) दिनांक 24.03.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में कोविड-19 की रोकथाम हेतु लॉकडाउन किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक गाइडलाइन दिनांक 26.03.2020 द्वारा मछली विक्रय पर प्रतिबंध लागू नहीं है। इस संबंध में गृह विभाग के प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या-4(ए) द्वारा निर्देश जारी किया गया है। (प्रति सलंगन)

इस संबंध में लेख है कि आपके जिले के संबंधित प्रशासनिक व पुलिस विभाग को उपरोक्त गाइडलाइन अनुसार निर्देशित कर मछली, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, बर्फ परिवहन तथा राज्य एवं राज्य के बाहर विक्रय हेतु मछली परिवहन की स्वीकृति प्रदान कराये। जिससे राज्य एवं देश में मछली सप्लाई चैन को सुचारु रखा जा सके। साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी कोविड-19 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

सलंगन:—प्रासंगिक पत्र (2)


21/4/2020
(डॉ० राजेश शर्मा)
शासन सचिव
पशुपालन एवं मत्स्य